Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 02/2016

Md. Daud Ansari ..... Appellant.

Versus

Md. Kari Ansari & Ors ..... Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–330/2012–13 में दिनांक–09.12.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–पुरंदाहा, खाता सं0–3201, खेसरा सं0–2644, रकवा–3.26 एकड़ भूमि बिहार सरकार के नाम दर्ज है। जिसमें से बंदोबस्ती वाद सं0–13/1962–63 द्वारा 2.26 एकड़ भूमि नेबीदास को बंदोबस्त की गई। नेबीदास उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाहा से 0.26 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति की माँग की गई। जिसे जाँचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाहा ने अनुमति वाद सं0–126/1966–67 दिनांक–18.08.1966 को बिक्री की अनुमति दी गई। अनुमति पश्चात् नेबी दास ने 0.26 डी0 भूमि दिनांक–26.08.1966 को विष्णुदेव महतो के पास बिक्री की गई। विष्णुदेव महतो उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए भू–लगान देते रहे। विष्णुदेव महतो ने वर्ष 1967 में उक्त भूमि सुनेश्वर नारायण शर्मा के पास बिक्री कर दी। क्रेता उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए विक्रय संलेख सं0–7034 दिनांक–24.05.2008 द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी के पास बेच दी गई। जो विवादित भूमि है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहते हुए जोत–आवाद कर रहे हैं एवं इनके नाम जमाबंदी सं0–4313 दर्ज है तथा भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। अपीलार्थी वर्ष 2012 में जीविकोपार्जन हेतु पंजाब चले गये। तब उत्तरवादी द्वारा इसकी भूमि पर जबरदस्ती दखल कर लिया गया। फलतः अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के पुनः दखल हेतु निम्न न्यायालय में उपरोक्त वाद दायर किया गया। जिसमें उत्तरवादी के मौखिक कथन कि उन्हें उपर्युक्त खाता–खेसरा की भूमि का पर्चा प्राप्त होने के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा इनके वाद को खारिज कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं	

Web Copy, Not Official.

		अवैध है। उन्होंने गलत रूप से प्रस्तुत विवाद को स्वत्व का विवाद मानते हुए खारिज किया है जो सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि खेसरा सं0–2644 का कुल रकवा–3.26 एकड़ है जिसमें से 2.26 एकड़ भूमि नेबी दास को बंदोबस्त क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	की गई थी और नेबी दास द्वारा 26 डी0 भूमि की बिक्री की गई। जिसपर कई क्रेता दखलकार रहते हुए नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान करते रहे हैं और अपीलार्थी अंतिम क्रेता के रूप में दखलकार थे। जिनके नाम जमाबंदी दर्ज है। उत्तरवादी द्वारा अवैध रूप से प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया है जबकि उन्हें प्रश्नगत भूमि का कोई बंदोबस्ती पर्चा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत खाता, खेसरा की भूमि मो0 इनताज अंसारी को बंदोबस्ती वाद सं0–15/1970–71 द्वारा परवाना प्राप्त है। जिसपर ये दखलकार होकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। अनुमति वाद सं0–126/1966–67 जाली एवं बनावटी है। उत्तरवादी उक्त भूमि पर आज भी शांतिपूर्ण दखलकार है। अपीलार्थी का दावा निराधार है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद उभय पक्षों द्वारा बंदोबस्ती पर्चा एवं विक्रय संलेख प्राप्त होने के आधार पर दावा किये जाने से उत्पन्न हुआ है। प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल रकवा–3.26 एकड़ है। जिसमें से 2.26 एकड़ भूमि बंदोबस्ती वाद सं0–13/1962–63 द्वारा नेबी दास को बंदोबस्त करते हुए पर्चा निर्गत किया गया है। उक्त खाता, खेसरा से ही बंदोबस्ती वाद सं0–15/1970–71 द्वारा मो0 इम्ताज अंसारी को 0.52 डी0 भूमि बंदोबस्त की गई है। नेबी दास द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया के अनुमति वाद सं0–126/1966–67 दिनांक–18.08.1966 द्वारा अनुमति प्राप्त करते हुए नेबी दास ने 0.26 डी0 भूमि दिनांक–26.08.1966 को विष्णुदेव महतो के पास बिक्री की। कालांतर में वर्ष–2008 में अपीलार्थी उक्त भूमि के तृतीय क्रेता हैं। जिसपर ये दखलकार होते हुए भू–लगान भुगतान कर रहे हैं तथा इनके पक्ष में जमाबंदी सं0–4313 दर्ज है। उत्तरवादी द्वारा भी प्रश्नगत खाता, खेसरा से बंदोबस्ती पर्चा प्राप्त की गई है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न होना बताया गया है जो विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है। ऐसे मामले में बिहार सरकार एक आवश्यक पक्षकार है जिनके पक्षों की सुनवाई नहीं किया जाना BLDR अधिनियम के प्रतिकूल है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधि सम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित सभी पक्षों सहित बिहार सरकार की पक्षों की सुनवाई करते हुए निर्गत पर्चा की वैधता की जाँचोपरांत निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करते हुए विवाद का समाधान सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश	

Web copy. Not Official.

		की प्रति निम्न न्यायालय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.